कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांकः– सहायता/लेखा/2024/1562 दिनांकः– 29/11/2024

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति</u>

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.8(09)आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/प्रस्ताव/2024/राजकाज 12062811 दिनांक 28.11.2024 द्वारा मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है।

अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड डेगाना तहसील व ब्लॉक डेगाना के 18 कार्यो हेतु कुल राशि 72.90 रूपये, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड कुचामनसिटी उपखण्ड नावां के 11 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 19.56 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड परबतसर उपखण्ड मकराना के 39 कार्यो हेतु कुल राशि 83.54 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड परबतसर उपखण्ड नावां के 12 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 19.96 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड परबतसर उपखण्ड कुचामनसिटी के 41 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये हेतु 62.39 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड परबतसर उपखण्ड कुचामनसिटी के 47 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 78.81 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. कुचामनसिटी उपखण्ड नावां के 23 कार्यो हेतु कुल राशि रूपये 39.52 लाख, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड नागौर के उपखण्ड नागौर के 68 कार्यो हेतु राशि रूपये 310.20 लाख एवं अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड नागौर उपखण्ड डीडवाना के 53 कार्यो हेतु 179.25 लाख कुल 312 कार्यो हेतु रूपये 866.13 लाख (अक्षरे आठ करोड छियासठ लाख तेरह हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतमु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

(1) विभाग द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि. विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के रेस्टोरेशन पर न करें।

(2) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

(3) जिला कलक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यो के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।

(4) बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को ने दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) वे सड़कें जो डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

(6) जिला कलेक्टर बजट की ऑनलाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत ऑरडिनरी रिपेयर और पेरीडिकल रिपेयर (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़को के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये।

(7) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होनी कि वे एसडीआरएफ के अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

(8) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

(9) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

(10) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण–पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(11) आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।

(12) स्वीकृत कार्ये निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाए आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगे।

(13) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।

(14) निजी निक्षेप खाते में राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

(15) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2024 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

(16) कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

(17) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावें।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांकः– सम/2024/1563-66 दिनांकः– 29/11/2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, डीडवाना।
3. अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, वृत्त नागौर एवं डीडवाना।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मेड़तासिटी, डेगाना, जायल, बासनी, कुचामनसिटी एवं खींवसर के सड़क मरम्मत प्रस्तावों में अन्य सड़क हेतु राशि की मांग की गई। उक्त सड़कें एसडीआरढफ नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण उक्त सभी प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।
5. कोषाधिकारी, नागौर।

जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

Email ID- relief.nag@rajasthan.in